परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 4 मई 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	31 मार्च 15

परियोजना का नाम	ओडिशा कौशल विकास परियोजना
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	46462-003
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र	शिक्षा
उपक्षेत्र	तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) शासन और क्षमता विकास (जीसीडी) ज्ञान समाधान (केएनएस) भागीदारियां (पीएआर) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	संवर्ग 1 : लैंगिक समानता (जीईएन)
परियोजना प्रायोजक	–

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)

ऋण	–	साधारण पूंजी संसाधन	110,000
–	–	पूरक	65,000
योग			**यूएस$ 175,000**

■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ख

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

–

अस्वैच्छिक पुनर्वास

–

स्वदेशी लोग

–

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

परियोजना डिजाइन के दौरान चिन्हित किया जाना है

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

परियोजना डिजाइन के दौरान चिन्हित किया जाना है

■ विवरण

ओडिशा सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों से वांछित परिणाम हासिल करने तथा रोजगार लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। प्रस्तावित परियोजना से ओडिशा सरकार को कौशल विकास के लिए 10 वर्षीय मार्ग मानचित्र तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी। इसके द्वारा ओडिशा में एक चरणबद्ध बाजार–अनुक्रियाशील तथा गुणवत्ता आश्वासित, स्थायी कौशल विकास प्रणाली, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 में

रेखांकित दीर्घकालीन विजन और विगत कुछ वर्षों में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर की गई पहलों तथा घोषित रणनीतियों की लीक पर विकसित करने में सहायता मिलेगी। यह भारत के लिए देश भागीदारी रणनीति 2013–2017 तथा देश परिचालन व्यवसाय योजना 2013–2015 के साथ सुसंगत है।

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

प्रस्तावित परियोजना से बाजार अनुक्रियाशील कौशल प्रशिक्षण में भारी वृद्धि और सुधार द्वारा ओडिशा में युवा लोगों की रोजगारपरकता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। परियोजना से ओडिशा सरकार (जीओओ) को इसके विद्यमान और उभर रहे आर्थिक संरचना तथा श्रम बाजार की लीक पर इसके कार्यशील आयुवर्ग की जनसंख्या, विशेषकर युवा और लाभवंचित समूहों, को प्रासंगिक कौशल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ऐसा करने में परियोजना कृषि, सर्विस सेक्टर, उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में कम रोजगार, रोजगारपरकता तथा/अथवा गैररोजगारपरकता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह परियोजना असंगठित तथा अनौपचारिक सेक्टरों में कार्यरत बड़ी संख्या में लोगों तक भी पहुंचेगी, जिससे उनके कौशल का निर्माण होगा तथा उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि होगी। सम्पूर्ण राज्य में कौशल उत्थान हेतु सतत निवेश से आने वाले समय में ओडिशा एक अकुशल श्रमिक निर्यात करने वाले राज्य से कुशल एवं कार्य हेतु तैयार युवा लोगों के निर्यातक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। न्यून कौशल, उद्योगों के साथ कमजोर सहक्रिया, भंगुरित कौशल पर्याप्रणाली तथा कमजोर क्षमता से संबंधित कार्यबल की न्यून रोजगारपरकता मूल समस्या है। यद्यपि, ओडिशा में समग्र बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक नहीं है (राष्ट्रीय औसत 2.32 प्रतिशत के मुकाबले 2.51 प्रतिशत), तदपि, युवा बेरोजगारी (अखिल भारतीय 6.12 प्रतिशत के मुकाबले 6.47 प्रतिशत) और विशेषकर न्यूनरोजगार (अखिल भारतीय 17.6 प्रतिशत के मुकाबले 23.5 प्रतिशत) दर काफी ऊंची है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में मांग के अनुरूप कौशल विकास पर फोकस के साथ विनिर्माण में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि बेरोजगार श्रमिक तेजी के साथ कम मजदूरी वाले खेती कार्य से बेहतर मजदूरी वाले विनिर्माण तथा सर्विस कार्य की ओर मुड़ सकें। पारंपरिक रूप से ओडिशा प्रधानतः एक कृषि राज्य है तथा कृषि अभी तक लोगों की प्रकथित आर्थिक गतिविधि के लगभग 60 प्रतिशत पर कायम है। तथापि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के आर्थिक योगदान में लगातार गिरावट आई है (1990 में 36.5 प्रतिशत की तुलना में 2012–13 में 17.5 प्रतिशत), जबकि सेवा और विनिर्माण सेक्टर का योगदान बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमानुसार 54 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत हो गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका सीमित है यद्यपि विशेषकर स्व–रोजगार सृजन तथा विस्तार की दृष्टि से इसकी संभावना बहुत अधिक है। प्रशिक्षण प्रणाली को त्वरित गति से इन नए आर्थिक अवसरों के अनुकूल बनाए जाने की जरूरत है। भारत की कमजोर मानव पूंजी तथा कौशल आधार एक प्रमुख बाध्यकारी मजबूरी है जिस पर, इसके जनसंख्या रूपी लाभांश के दोहन तथा ओडिशा जैसे श्रमातिरेक राज्य में समावेशी विकास सुसाध्य बनाने के लिए, तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ओडिशा में कुल आबादी का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का होने के चलते युवा आबादी का जनसंख्या लाभांश स्कूली शिक्षा तथा कौशल की दृष्टि से अति विशाल है। कृषि से सेवा प्रदान (सर्विसेज) तथा विनिर्माण सेक्टर की ओर प्रत्यक्ष बदलाव के साथ, कार्यबल का खेती से गैर खेती कार्यों (जैसेकि निर्माण) की ओर अंतरण सुकर बनाने के लिए पुनरकौशलन अनिवार्य है। 2009–10 डेटा के अनुसार ओडिशा में संगठित सेक्टर में केवल 731,000 व्यक्ति रोजगारशुदा थे, जिनमें महिलाओं की संख्या मात्र 16 प्रतिशत थी। लगभग 90 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या असंगठित सेक्टर में काम कर रही थी, जिसका अभिप्राय आय सुरक्षा, प्राकृतिक तथा आर्थिक अव्यवस्थाओं, आकस्मिकीकरण तथा उपेक्षा के प्रति उच्च संवेदनशीलता का अभाव है। संगठित सेक्टर में कार्यरत 10 प्रतिशत लोगों में से अधिकांश (83.2 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसमें आगे विकास की सीमित संभावनाएं हैं। इससे दो प्रमुख संदेश प्राप्त होते हैं : औपचारिक अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र रोजगार वृद्धि हेतु घोर प्रयास किए जाने चाहिए तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की मूल्यवृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिए। लोगों का उच्च कौशल दोनों उद्देश्यों में सहायक हो सकता है। लगभग 83 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के साथ ओडिशा की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हाशिये पर है। लगभग 15 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा लगभग 9 मिलियन लोग जनजातियों तथा/अथवा सुदूरवर्ती क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ओडिशा में 2001–2011 के बीच शहरी विकास की दर 26.80 प्रतिशत (अखिल भारतीय प्रतिशत 31.8) थी तथा राज्य

की शहरी आबादी केवल 16.68 प्रतिशत (अखिल भारतीय प्रतिशत 31.6) थी। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर अंतरण तेज होने की आशा की जाती है तथा राज्य सरकार नए उभरते सेक्टरों जैसेकि पर्यटन, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के सुधार पर अपना फोकस बढ़ा रही है। इस संबंध में द्विमुखी रणनीति अपनाना महत्वपूर्ण होगा : (i) पूर्व शिक्षार्जन की मान्यता (आरपीएल) प्रारंभ करना, तथा (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए मेन्यु प्रेरित दृष्टिकोण उपलब्ध कराना। महिला श्रम बल की प्रतिभागिता दर बढ़ाए जाने की जरूरत है जो वर्तमान में पुरूषों की 60 प्रतिशत की तुलना में 28 प्रतिशत मात्र है। इसी तरह महिलाओं की साक्षरता दर भी कम है (पुरूष 74.1 प्रतिशत, महिला 52.2 प्रतिशत) ; यह अनुसूचित जातियों के मामले में और भी कम है (पुरूष 72.4 प्रतिशत, महिला 43.8 प्रतिशत) ; और अनुसूचित जनजातियों के मामले में सबसे कम है (पुरूष 59.9 प्रतिशत, महिला 33.4 प्रतिशत)। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में गिरावट, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 49.5 प्रतिशत है। केवल 6 प्रतिशत जनसंख्या डिप्लोमा, प्रमाणपत्र अथवा ग्रेजुएट और बड़ी डिग्री धारक है (राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत) और उनमें से केवल 52 प्रतिशत लोग उच्चतर शिक्षा में नाम दर्ज करवाते हैं। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा राज्य के बाहर रोजगार की तलाश कर रहा है तथा औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अतएव कौशल विकास के संबंध में ओडिशा के लिए विविध आयुवर्ग के युवाओं तथा विशेषकर महिलाओं, जनजातीय युवाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए एक एकीकृत तथा मेन्यु प्रेरित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, ताकि उनको राज्य की विकास प्राथमिकताओं एवं रणनीतियो के साथ कारगर एकीकरण द्वारा औपचारिक अर्थव्यवस्था के तहत लाया जा सके। ओडिशा की अर्थव्यवस्था करीब 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसमें लगातार मजबूत हो रहे सर्विस सेक्टर और विदेशी निवेश तथा संबंधित बृहद विनिर्माण सुविधाओं का बड़ा योगदान रहा है। ओडिशा में कुशल कार्यों के लिए कुल कार्यबल की मांग 2011 में 7.6 मिलियन की तुलना में 2026 तक 13.6 मिलियन होने की आशा की जाती है। बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा, आईटी तथा आईटीईएस में उच्च कुशल कार्यबल की भारी मांग है। 10 शीर्ष सेक्टरों मे श्रमिकों की प्रक्षेपित मांग में निर्माण और टेक्सटाइल/अपैरल प्रत्येक में 200,000 ; ड्राइविंग तथा विनिर्माण में प्रत्येक में 150,000 और स्वास्थ्य (पैरामेडिक्स), सिक्योरिटी गार्ड्स, हॉस्पिटैलिटी, आईटी तथा आईटीईएस, रिटेल और विविध (दूरसंचार, बैंकिंग, कृषि इत्यादि में प्रत्येक में 50,000 श्रमिकों की मांग शामिल है। इन उभरती जरूरतों की पूर्ति के लिए आपूर्ति पक्ष का अनुकूलन जरूरी है। ओडिशा इसके कौशल अभाव को संबोधित करने के लिए सक्रिय रहा है। ओडिशा सरकार ने न्यून रोजगार तथा युवा न्यून रोजगार की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 2005–06 में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय ओडिशा राज्य रोजगार मिशन (ओएसईएम) का गठन किया है। यह मिशन आज की तिथि तक 150,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर चुका है। ओएसईएम कई पहल कर चुका है जिनमें कौशल अंतराल विश्लेषण, रणनीति पत्र तैयार करना, प्रमुख सेक्टर्स चिन्हित करना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई'ज), पोलिटेक्नीक्स तथा कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसी'ज) के लिए नामांकन क्षमता तथा व्यापार युक्तिकरण के लिए विस्तृत योजना तैयार करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा रोजगार संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा रोजगार मेलों का आयोजन शामिल है। ओडिशा सरकार के विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर तथा विगत दशक में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सुधार पहलों से सीख लेते हुए तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय (डीटीईटी) टीवीईटी संस्थाओं के नए तथा अधिक सुनम्य मॉडलों की स्थापना द्वारा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) संस्थाओं के नेटवर्क के विस्तार की प्रक्रिया में है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा श्रम बाजार की उभरती मांग की पूर्ति कर सकें। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा सेक्टर कौशल परिषदों की स्थापना में केन्द्रीय पहलों के साथ तालमेल बैठाने और राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रचालनशील बनाए जाने की जरूरत का स्वीकरण भी है।

■ विकास प्रभाव

ओडिशा के कार्यशील आयुवर्ग की जनसंख्या की वर्द्धित रोजगारपरकता और उत्पादकता

■ परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
प्रक्षेपित क्षेत्रों में ओडिशा के युवाओं की रोजगारपरकता में सुधार	–

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
1. बाजार अनुक्रियाशील कौशल विकास कार्यक्रम हेतु वर्द्धित न्यायसंगत पहुंच 2. कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता का सुधार 3. सुदृढ़ीकृत कौशल पारिप्रणाली 4. कारगर परियोजना प्रबंधन	–
विकास परियोजनाओं की स्थिति	**कार्य/निर्माण की स्थिति**
–	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
–	

■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि 13 अक्टूबर 14

परामर्शी सेवाएं

संशोधित पीपीटीए के तहत कुल 42 व्यक्ति–माह अपेक्षित हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं के 10 व्यक्ति माह तथा राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के 32 व्यक्ति माह शामिल हैं। सभी परामर्शी सेवाओं के लिए एडीबी प्रक्रिया (मार्च, 2013 परामर्शदाताओं के उपयोग के विषय में दिशानिर्देश समय–समय पर संशोधित अनुसार) का अनुसरण किया जाएगा।

अधिप्राप्ति

सभी प्रापण एडीबी प्रक्रिया (मार्च, 2013 प्रापण दिशानिर्देश समय–समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार निष्पादित किए जाएंगे।

प्रापण और परामर्शी सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/46462-003/business-opportunities

■ समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	10 अक्टूबर 14
सम्यक् सतर्कता मिशन	11 मई 2015 से 15 मई 2015 तक
निवेश समिति बैठक	–
अनुमोदन	–

■ मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

■ उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार)	अन्य (यूएस $ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
–	–	–	–	–
संचयी संवितरण				
–	–	–	–	–

■ प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण -	–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	ब्रजेश पंथ (bpanth@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	मानव तथा समाज विकास प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/46462-003/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/46462-003/documents